आदेश	कार्यवाही विवरण
10/08/2021	पत्रावली पेश हो। पढ़ लाया उपस्थित। [illegible] 18/11/2021 को पेश हो।
	18/11/2021 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 28/12/2021
	28/12/2021 पत्रावली पेश हुई [illegible] 8/3/2022
8/3/2022	पत्रावली पेश हुई। बहुलाराम उर्फ बुलाराम [illegible] प्रार्थना किया। पत्रावली बहस आदेश हेतु दिनांक 24/3/2022 को पेश हो।
24/3/2022	पत्रावली पेश हुई। बहुलाराम उर्फ पुनाराम [illegible] बहस आदेश हेतु दिनांक 30/3/2022 को पेश हो।
30.3.22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाराम उपस्थित। बहस आदेश श्रवण की गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 31.3.22 को पेश हो।
31.3.22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाराम उपस्थित। पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराया तथा [illegible] किया कि प्रार्थी को बिल [illegible] प्रा. पत्र अ. धारा 251 क में न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश [illegible]

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
की अपील प्रार्थी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की रखी है और राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश है। अतः अनावेदकगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी सं. 6436/2018 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 7-9-2018 के लम्बित रहने के दौरान चक जोधपुरा के ख.नं. 670/559 व ख.नं. 671/559 में कोई मोके पर रास्ता नहीं निकाले तथा उक्त भूमि के मोके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी वकील ने अवलोकन प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रा. पत्र अ. धारा 251 क न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में मेरिट के आधार पर स्वीकार किया गया है। प्रार्थी पुनः इस न्यायालय में 251 क RTAct के निर्णय के विरुद्ध असंतोष पाने का अधिकारी नहीं है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में केवल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है। प्रार्थी केवल रास्ता रोकना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात स्पष्ट है कि प्रार्थी इस न्यायालय में निर्णित प्रा. पत्र अ. धारा 251 क के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पाना चाहते है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन पूर्व से प्रकाशित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लाभित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लाभित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] के रूप में तथा दाखिल दफ्तर हो। 31.3.22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested